कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, कोरबा – छत्तीसगढ़

कमॉक/3153/भू–अर्जन/ 2016 कोरबा,दिनॉक03/02 /2016

प्रति,

01.प्रभारी अधिकारी
जिला नाजिर शाखा
जिला–कार्यालय,कोरबा

02.अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
कोरबा/कटघोरा/पोड़ी उपरोड़ा
जिला–कोरबा,छ0ग0

विषयः– पूर्वी पश्चिमी रेल गलियारे यथा गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड 135 कि0मी0तक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहरण के लिए पुर्नव्यवस्थापन एंव पुनर्वासन नीति एंव योजना का अनुमोदन बाबत!।

000

विषयॉतर्गत विषयॉतर्गत आयुक्त,बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा पूर्वी पश्चिमी रेल गलियारे यथा गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड तक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पुर्नवस्थापन एंव पुनर्वासन नीति एंव योजना का अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित पुनर्वास योजना एंव प्राप्त ज्ञापन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। कृपया स्कीम को यथास्थिति,पंचायत,नगरपालिका या नगर निगम तथा जिला कार्यालय,उपखण्ड मजिस्ट्रेट के तथा तहसीलदार कार्यालयो में तथा प्रभावित क्षेत्रो में प्रकाशित कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर 03/03/16
कोरबा–छत्तीसगढ़

पृष्ठा0क0/3154/भू–अर्जन/2016 कोरबा दिनॉक 03/03/2016

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
02. जिला सूचना एंव विज्ञान अधिकारी जिला कार्यालय कोरबा को सूचनार्थ। पुनर्वास योजना की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है कृपया इसे जिले के वेबसाइट में अपलोड करे।

कलेक्टर 03/03/16
कोरबा–छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक696/राजस्व/2016 बिलासपुर दिनांक05-02-16

प्रति,

कलेक्टर

जिला-कोरबा (छ0ग0)

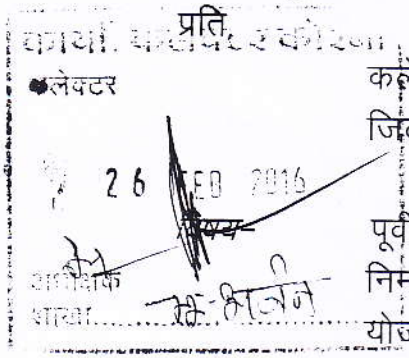

पूर्वी पश्चिमी रेल गलियारे यथा गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड 135 कि0मी0 तक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पुर्नव्यस्थापन एवं पुनर्वासन नीति एवं योजना का अनुमोदन बावत् ।

विषयांतर्गत कलेक्टर कोरबा का पत्र क्रमांक 199/भूअर्जन/2016 कोरबा दिनांक 06.01.2016 के माध्यम से पूर्वी पश्चिमी रेल गलियारे यथा गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड 135 कि0मी0 तक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए पुर्नव्यस्थापन एवं पुनर्वासन नीति एवं योजना का अनुमोदन पुनर्वास योजना का अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है ।

कलेक्टर कोरबा ने उक्त संदर्भित द्वारा उपरोक्त परियोजना से प्रभावितों के लिए पुनर्वास योजना का अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

अतः कलेक्टर कोरबा के अनुशंसा के आधार पर पूर्वी पश्चिमी रेल गलियारे यथा गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड 135 कि0मी0 तक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए भूअर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुक्रम में पुनर्वास योजना का अनुमोदन निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करता है :-

1- कलेक्टर कोरबा द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा ।

2- भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो, कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावे।

3- पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए वृक्षारोपण किया जावेगा । वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना 02 माह के भीतर तैयार किया जावे ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया जावे ।

4- पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकार के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

5- मकान विस्थापितों के लिए वैकपिक व्यवस्था की जावे।

6— जिन विस्थापितों को परियोजना में नियमित रोजगार दिया जाना संभव न हो, उन्हें मुआवजा के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 30,000.00 रूपये प्रति एकड़ आगामी 30 वर्ष तक वार्षिकी दी जाए । इसमें प्रति 2 वर्ष रूपये 500.00 प्रति एकड की वृद्धि की जावे।

7— प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था कर उन्हें प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार/जीविका उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे तथा परियोजना में समय समय पर रोजगार के जो भी अवसर उपलब्ध होगें, उनमें यथासंभव भूमि विस्थापितों को रोजगार का अवसर दिया जावे ।

8— कलेक्टर कोरबा भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेगें एवं प्रत्येक 03 माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेगें।

9— कियान्वयन एजेंसी इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो यह सुनिश्चित किया जावे ।

10— प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजीविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा । पश्चात् सफल प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से स्वरोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा ।

11— जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयस करना होगा ।

12— दूसरी अनुसूची(धारा 31(1),38(1) और 105(3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

13— स्थापित रेल लाईन में भविष्य में पैसेंजर ट्रेन चलाने पर विचार करे और नागरिक सुविधा की दृष्टि से रेल्वे स्टेशन एवं अन्य अधोसंरचना विकसित किया जावे ।

14— इस क्षेत्र में हाथी (वन्य प्राणी) विचरण क्षेत्र होने के कारण समय समय पर मनुष्य एवं वन प्राणियों के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित होते आ रही है । ऐसी स्थिति में वन्य प्राणियों के सुरक्षा एव संरक्षण की दृष्टि से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर वन विभाग से अनुमोदन से कियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

15— अधिग्रहित भूमि में वृक्ष लगे हो तो उसका आकलन राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गयी मूल्य अनुसार मुआवजा राशि का वितरण किया जावेगा ।

उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्वी पश्चिमी रेल गलियारे यथा गेवरा रोड से पेण्ड्रारोड 135 कि0मी0 तक निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए भूअर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुक्रम में पुनर्वास योजना का पालन सुनिश्चित किया जावे ।

आयुक्त
बिलासपुर संभाग,बिलासपुर

पृ0क्रमांक 696 /राजस्व/2015 बिलासपुर दिनांक 5/2/16

प्रतिलिपि–

1– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,मंत्रालय,महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2– कलेक्टर बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3– एम0जी0एम0 इरकान इटरनेशनल लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

असुक्त
बिलासपुर संभाग,बिलासपुर